



## प्रेस नोट

### जनपद सीतापुर

#### अवैध तमंचे व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण हेतु सघन चेकिंग एवम् गश्त हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के क्रम में चलाये जा रहे अभियान में चेकिंग के दौरान दिनांक 05.01.2021 को थाना मिश्रिख पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव पुत्र सियाराम नि० मो० सीताकुंड वार्ड नं० 4 थाना मिश्रिख सीतापुर को एक अदद नाजायज तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ परसौली चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर क्रमशः मु०अ०सं० 06/2021 धारा 25(1-B) शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

**नाम/पता अभियुक्त** – धर्मेन्द्र यादव पुत्र सियाराम नि० मो० सीताकुंड वार्ड नं० 4 थाना मिश्रिख सीतापुर

**बरामदगी**- एक अवैध तमंचा व 01 कारतूस 315 बोर

#### आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 631/19 धारा 392/411 भादवि थाना मिश्रित सीतापुर
2. मु०अ०सं० 647/19 धारा 457/380/411 भादवि थाना मिश्रित सीतापुर
3. मु०अ०सं० 651/19 धारा 379/411 भादवि थाना मिश्रित सीतापुर
4. मु०अ०सं० 34/20 धारा 394/411 भादवि थाना मिश्रिख सीतापुर
5. मु०अ०सं०- 326/20 धारा 2/3 यू.पी. गैगस्टर एक्ट थाना मिश्रित सीतापुर
6. मु०अ०सं०- 06/21 धारा 25(1-बी) आयुध अधि० थाना मिश्रित सीतापुर

**पुलिस टीम**- उप निरीक्षक श्री रोहित दुबे, का० संजीव कुमार, का० अशोक कुमार

